छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-17

<u>रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017</u>

(चैत्र 3, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 10, 12, 14, 15, एवं 17 से 19 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07, 09, 11, 13 एवं 16 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, उमेश पटेल, संतोष बाफना, चिंतामणि महाराज एवं नवीन मारकण्डेय अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2014, वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर स्थित डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 को रात्रि साढ़े सात बजे से आयोजित है । उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के पश्चात् आयोजित सांस्कृतिक संध्या तथा रात्रि भोज में समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकार आमंत्रित हैं । निमंत्रण-पत्र खानेदार आलमारी से वितरित किये जा रहे हैं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016,

(2) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15,

(3) श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-15, तथा

(4) श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य (अनुपस्थित) (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, देवजी भाई पटेल, सदस्य ने सी.वी रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर में बिना अनुमति के पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा)
(2) श्री दीपक बैज
(3) डॉ. खिलावन साहू
(4) श्री अमरजीत भगत

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

7. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 एवं 24 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उनके द्वारा दिए गए गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा कराई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अंतिम ढ़ाई घंटा गैर शासकीय कार्य लिया जाएगा। आपने जो Bill दिया है उसके संबंध में सचिवालय से स्थिति ज्ञात कर लें। यह सभा का विषय नहीं है।

8. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) माननीय गृह मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा श्री सत्यनारायण शर्मा ने प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रामदयाल उईके, (डॉ.) खिलावन साहू, कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

9. असंसदीय आचरण व निलंबन

माननीय सभापति ने सूचित किया कि आज दोपहर 1.00 बजे से 1.30 के मध्य माननीय सदस्य डॉ. विमल चोपड़ा एवं श्री केशव चन्द्रा ने विधान सभा परिसर में प्रदर्शन करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से सायकल से प्रवेश करने का प्रयास किया और अनुमति नहीं मिलने पर गले में काला दुपट्टा जिस पर नारा लिखा हुआ था तथा नारेयुक्त टोपी पहने हुए थे, प्रदर्शन करने के उद्देश्य से व हाव-भाव के साथ मुख्य भवन में आये। इस दौरान दोनों के हाथ में कागज के गड्डे भी थे।

माननीय अध्यक्ष के स्थायी आदेशों के अंतर्गत विधान सभा परिसर में जुलूस, प्रदर्शन जैसे कार्य अनुमति योग्य नहीं है। माननीय सदस्यों को पूर्व में भी ऐसे नहीं करने योग्य कार्यों

के लिए सचेत किया गया है किन्तु माननीय सदस्य जान-बूझकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं।

उपरोक्त असंसदीय आचरण के कारण मैं उन्हें आज की कार्यवाही से निलंबित करता हूं।

(निलंबित सदस्य सभा भवन से बाहर गए)

10. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री रामलाल चौहान, भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री दीपक बैज।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अशासकीय कार्य 6.00 बजे से लिए जाने तथा 8.30 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55 एवं समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-55 पर सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, राजेन्द्र कुमार राय मांग संख्या-34 पर श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), दीपक बैज,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्रीमती केराबाई मनहर, श्री संतराम नेताम,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

11. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

मानानीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज केन्द्रीय मंत्री श्री विष्णुदेव साय अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

12. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5 (2) का कार्य पूर्ण होने पर अशासकीय कार्य लिये जाने की घोषणा की)

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश के प्रत्येक संभाग मुख्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जाये।"

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय जिला अस्पतालों में गुर्दा रोगियों के लिए रियायती दर पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो।"

श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य के स्थान पर अधिकृत श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. प्रीतम राम,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. खिलावन साहू, श्री दीपक बैज।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

3. सदन का यह मत है कि "प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाथियों के उत्पात से हो रही जन-धन की हानि को रोकने के लिये समयबद्ध कारगर योजना बनाई जाये।"

डॉ. प्रीतम राम, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

4. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ी भाषा की शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाये।"

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य (अनुपस्थित) (संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ)

सायं 7.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 (चैत्र-6, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा